न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 15 / 2024

अपीलार्थी	बनाम	रेस्पोडेन्ट
श्री सोहनलाल बंजारा पुत्र श्री मांगीलाल जाति बंजारा निवासी तलहटी आकरा भट्टा तहसील आबूरोड जिला सिरोही अध्यक्ष मुखरी माता टैक्सी ड्राईवर यूनियन तलहटी आबूरोड तहसील आबूरोड जिला सिरोही।		सरकार जरिये तहसीलदार आबूरोड

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :
1. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा अधिवक्ता अपीलांट।
2. नायब तहसीलदार सिरोही (पैरोकार सरकार)।

निर्णय

दिनांक : 28.01.2025

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार, आबूरोड द्वारा उनके मुकदमा संख्या 01 / 2024 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2024 के विरूद्ध दिनांक 05.11.2024 को प्रस्तुत की, जो दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया गया।

अभिलेख प्राप्त होने एवं सम्मन तामिल होने पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री. राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि तहसीलदार आबूरोड द्वारा ग्राम दानवाव पटवार हल्का मानपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही के खसरा नम्बर 67 रकबा 0.7587 हैक्टेयर में से 240 वर्गफीट किस्म गै.मु.नाडी पर अपीलार्थी का अवैध निर्माण मान कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया, जो नोटिस अपीलांट को तामिल करवाया गया जिसे अपीलांट पर तामिल मानते हुए उसे अनुपस्थित बताकर निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट को भौतिक रूप से बेदखल करने एवं रूपये 50/– का जुर्माना आरोपित करने के एक तरफा आदेश पारित किये गये, जो कानूनी रूप से उचित एवं विधिसम्मत नही है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के दिनांक 22.08.2024 की पेशी पर अपीलांट की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया एवं जवाब में यह [illegible] किया कि अपीलांट की ओर से जो टिन शेड युक्त कमरे का निर्माण [illegible] खसरा संख्या 66 पर किया गया है और खसरा संख्या 67 पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नही किया गया है, खसरा संख्या 66 लीज के लिये आवण्टित [illegible] है। उक्त जवाब प्रस्तुत [illegible] अधीनस्थ न्यायालय में यह भी निवेदन किया कि अपीलांट के विरूद्ध खसरा संख्या 67 के संबंध में गलत नोटिस दिया गया है जिसका कानूनन सीमाज्ञान करवाया जावे, ताकि स्थिती स्पष्ट हो सके, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने सीमाज्ञान कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने कोई सीमाज्ञान नहीं

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:58:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

करवाया और उसके 7 दिन के पश्चात ही अप्रार्थी मय अधिवक्ता अनुपस्थित बताकर उक्त प्रकरण में निर्णय दिनांक 29.08.2024 को पारित कर कानूनन व वाक्यातन गलती की है जिससे उक्त निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 28.06.2024 को आधार मानकर उक्त निर्णय पारित करने में कानूनन व वाक्यातन गलती की है। यह कि अपीलांट मुखरी माता टैक्सी ड्राईवर यूनियन तलहटी आबूरोड का अध्यक्ष है एवं उक्त टैक्सी यूनीयन की तरफ से उक्त स्टैण्ड पर आने जाने वाले यात्रियों व आम जनता के लिए पानी पीने हेतु उक्त कमरे का निर्माण करवाया है, जिसके उपर टीन शेड लगे हुए है तथा अन्दर मटके आदी रखकर पानी की प्याउ के रूप में काम में लिया जा रहा है। यह कमरा सार्वजनिक व आम पब्लिक के पानी पीने के प्रयोजनार्थ बनाया गया है, जिसमें किसी का कोई व्यक्तिगत हित नहीं है तथा उक्त कमरा खसरा संख्या 66 में बनाया गया है। खसरा संख्या 66 व खसरा संख्या 67 दोनो ही पास पास आये हुए है जिनकी स्थिती सीमाज्ञान से ही संभव हो सकती थी, लेकिन उक्त तथ्यो को नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित करने में कानूनन व वाक्यातन गलती की है, जिससे उक्त निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट व अधिवक्ता को आयन्दा मौका रिपोर्ट (सीमाज्ञान) कर आयन्दा तारीख पेशी देने का आश्वासन दिया था, लेकिन किसी प्रकार का कोई सीमाज्ञान नही करवाया एवं अधिवक्ता या अपीलांट को सूचना दिये बगैर उनके पीठ पीछे उक्त निर्णय दिनांक 29.08.2024 को पारित कर सीधे ही उसके विरूद्ध बेदखली व जुर्माना का आदेश दिया है जो विधि विरूद्ध है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित करने के पश्चात भी अपीलांट को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी। अपीलांट उक्त टैक्सी यूनीयन का कामकाज देखता है, जिससे उसे सुबह से शाम तक कार्यस्थल पर रहना पडता है और काफी समय होने के पश्चात एवं अधीनस्थ न्यायालय से कोई सूचना नही आने से अपीलांट अपने अधिवक्ता को साथ लेकर दिनांक 25.09.2024 को अधीनस्थ न्यायालय में गया, जहां जानकारी करने पर उन्हे यह बताया की उक्त प्रकरण में तो दिनांक 29.08.2024 को ही निर्णय पारित कर दिया गया है, जिस पर तुरन्त ही नकल हेतु आवेदन पेश किया जो नकल दिनांक 08.10.2024 को प्राप्त होने पर सर्वप्रथम उसे उक्त निर्णय की जानकारी हुई, जिससे बिना किसी देरी के जानकारी होते ही एक माह के भीतर–भीतर यह अपील प्रस्तुत की है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा कर काश्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में किसी तरह की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है। अपीलान्ट को पेशी का नोटि[illegible] शुदा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है। [illegible] है कि [illegible] के अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही की गई थी। [illegible] है एवं विवादित भूमि सरकारी बिलानाम भूमि है जो नियमों के तहत आवंटन या नियमन नही हो सकती। राजकीय भूमि की रक्षा करना प्रशासन का प्रथम [illegible]त्व बनता है। यदि राजकीय भूमि अतिक्रमित हो जायेगी तो पशुओं के चराई के ऊपर भारी संकट उत्पन्न हो सकता है, अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:58:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

मैनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भाँति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन नाडी दर्ज है। अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संवत् 2080 मे अतिक्रमण करने से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। विवादित भूमि रिक्त करने की अपेक्षा की गई थी उक्त नोटिस अपीलांट को तारीख पेशी से पूर्व तामिल कराया गया था। तामिल कुनिन्दा द्वारा तामिल नोटिस अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे मौजूद है एवं अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में भी अपीलांट को उपस्थित बताया गया है, जिसमें अपीलांट स्वयं ने हस्ताक्षर किए हुए है। अतः अपीलान्ट अधिवक्ता का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा यह भी जाहिर किया है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तारीख पेशी की कोई सूचना नहीं दी गई एवं न ही निर्णय पारित किए जाने की जानकारी थी। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.08.2024 की गत पेशी दिनांक 22.08.2024 को अपीलांट स्वयं उपस्थित था एवं अपीलांट द्वारा अपनी उपस्थिति बाबत् हस्ताक्षर भी अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में किए थे, जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट को यह भलीभांति ज्ञात था कि उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.08.2024 नियत की हुई है, इसके उपरान्त भी अपीलांट या उनके अधिवक्ता द्वारा उक्त नियत तारीख पेशी पर भी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थिति नहीं दी। अतः अपीलांट अधिवक्ता का यह तथ्य मानने योग्य नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त निर्णय पारित होने की जानकारी नहीं थी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का मानपुर की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट द्वारा मौजा दानवाव पटवार हल्का मानपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही के खसरा संख्या 67 रकबा रकबा 0.7587 हैक्टेयर में से 240 वर्गफीट किस्म गै.मु.नाडी पर अपीलांट ने अवैध टीनशेड युक्त पक्के कमरों का निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन है कि अपीलांट द्वारा खसरा संख्या 67 पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है एवं अपीलांट द्वारा किया गया उक्त निर्माण कार्य खसरा संख्या 66 में है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि भू-अभिलेख निरीक्षक मूंगथला एवं पटवारी हल्का मानपुर द्वारा तैयार की गई मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 28.06.2024 में यह अंकित किया गया है कि खसरा संख्या 67 रकबा 0.7587 हैक्टेयर किस्म गै.मु.नाडी श्री सरकार के नाम दर्ज है, जिस पर टैक्सी यूनियन द्वारा तलहटी सर्किल सार्वजनिक प्याऊ के नाम से निर्माण किया जा रहा है एवं वर्तमान में [illegible] 20 [illegible] फीट सीमेन्ट ईंट का ढॉचा मय खिड़की दरवाजे लगाए है और टीनशेड [illegible] हुए है। अतः अपीलांट अधिवक्ता द्वारा किए गए [illegible] मूंगथला एवं पटवारी हल्का मानपुर द्वारा तैयार की गई मौका फर्द रिपोर्ट के अवलोकन से न्यायहित में यह आवश्यक है कि उपरोक्त खसरा संख्या 66 एवं 67 का सीमा ज्ञान किया जाने के बाद अपीलांट का अतिक्रमण पाया जाने पर उनके विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित करना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:58:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचन एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलांट के विरूद्ध नरमाई का रूख अपनाते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुकदमा संख्या 01/2024 में पारित का निर्णय दिनांक 29.08.2024 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि खसरा संख्या 66 एवं 67 का पुनः सीमा ज्ञान करवाया जाकर यदि खसरा संख्या 67 पर अपीलांट का अतिक्रमण पाया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय विधि में दिये गये प्रावधानों अनुसार निर्णय की पालना करवाने हेतु स्वतंत्र रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज०)

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:38:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner